

भारतीय गोर न्यायिक

एवं



Rs. 100/-

13 MAY 2023

ONE

HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GA 484030

(प्राप्ति-अ)

इन वीरेन्द्र नाथ बाजपेही एवं सुरेन्द्र नाथ बाजपेही क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव श्री दुर्गा शिंहण संस्थान याम व पोर्ट डुगांगज विलायम हरदोई (उओप्र०) रापवारुडक निमायन संस्थान करता है कि:-

1. यह कि हमारी सोसायिटी हारा आर० बी० औ० एन० कासेज ऑफ़.फार्मेसी ग्राम पोडावर अस्टर नगर पालिका परिषद विलायम हरदोई नामक डिप्लोमा स्लरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की रक्काफना साल 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
 2. यह कि हमारी सोसायिटी हारा आर० बी० औ० एन० कासेज ऑफ़.फार्मेसी में गाटा नं० 295/4 कुल रक्का 2030 वर्ग मीटर (कुल रक्का 0.5 एकड़) भूमि है।
 3. यह कि उपरोक्त भूमि पर विली प्रकार का कोई भी वाद किसी भी व्यापारिय द्वारा नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
 4. यह कि उपरोक्त पर्याय को नाम उपरबा भूमि के गाटा नं० 295/4 कुल रक्का 2030 वर्ग मीटर (कुल रक्का 0.5 एकड़) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्लरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की रक्काफना किये जाने का प्रस्ताव सोसायिटी की बैठक दिनांक 08 जुलाई 2020 हारा पारित किया गया है।
 5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा स्लरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की रुपान्तरण हेतु भवनों का निर्माण अनुशोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
- इसके अधिकार शमिल, के समर्थ उपरोक्त पात्र का सोसायिटी के नाम भूमि एवं उपरबा पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु उपस्थित किया गया है।



कृष्ण

S. B. J.

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय लकड़ीकी शिक्षण संस्थान का ही संधारन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्थान में कार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षण परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रमों में प्रक्षिण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों ने कार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षण परिषद उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय महाविद्यालय / आईटीआई आदि का संधारन न तो पूर्ण में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संधारन हेतु आवश्यक बलाच रम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को कार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के भागों के अनुसार ही सुनिजित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संधारन हेतु आवश्यक ईशिक एवं अशीषिक स्टाफ की तैयारी सोसायिटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन / परिषद द्वारा निर्णीत निरीक्षा / आयोगों का भवीभावित पालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय खालीय निरीक्षण मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किया गया निर्णय अतिम हांगा एवं मुद्रे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विविध कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त सूचना मेरी निपी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अग्रिमेत्र / दस्तावेज़ फूटरीयत अद्यता तुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विस्तृद परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विविध कार्यवाही हेतु मैं सत्य उत्तरदायी होऊँगी।

मेरी
८० संविध

८० अध्यक्ष

